राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के
अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र

एक सब के लिए

सब एक के लिए

नाम संस्था :

Cost Rs.35 each

Santosh Computers
4/144 'B' Block
Panchsheel Colony Ajmer

Mob. No. 9928082156 , 9214692800
Tel.No. 2643848

11. कार्यकारिणी का गठन – संस्थान के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जाएगा , जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगें ।

1.	अध्यक्ष	एक
2.	उपाध्यक्ष	एक
3.	कोषाध्यक्ष	एक
4.	मंत्री सचिव	एक
5	सहसचिव	एक
6.	सदस्य	सात

इस प्रकार प्रबंधकारिणी में 5 पदाधिकारी व 6 सदस्य कुल 11 सदस्य होगें ।

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तित किए जावें तो अंकित करें । कम पद रखना चाहें तो रख सकते हैं)

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन –

क. संस्थान की प्रबंधकारिणी का चुनाव दो वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा ।

ख. चुनाव अप्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा ।

ग. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी ।

13. कार्यकारिणी के अधिकार एंव कर्त्तव्य – संस्थान की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होगें

क. सदस्य बनाना/निष्कासित करना ।

ख. वार्षिक बजट तैयार करना ।

ग. संस्थान की सम्पत्ति की सुरक्षा करना ।

घ. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना , सेवामुक्त करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना ।

अध्यक्ष   कोषाध्यक्ष   मंत्री

संस्थान का कार्यभार – संस्थान का कार्यभार संस्थान के नियमानुसार एक कार्यकारणी समिति को सौपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्न प्रकार है।

कस	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	प्रेमलता पत्नि रमेशचन्द	समाज सेविका	आहाता, नगरा अजमेर	अध्यक्ष
2	गीता सावरिया पुत्री नाथूसिंह	समाज सेविका	शंकर नगर अजमेर	उपाध्यक्ष
3	मनोज जाजोरया पुत्र नौरतमल	समाज सेवी	आर्दश नगर अजमेर	सचिव
4	मनोज कुमार पुत्र पुरन सिंह	अध्यापक	[illegible]र नगर अजमेर	कोषाध्यक्ष
5	दुर्गा देवी पत्नि ब्रजमोहन	समाज से[illegible]	[illegible]पुर, अजमेर	सहसचिव
6	कैलाश चन्द पुत्र शंकरलाल	समाज सेवी	[illegible]खेड़ा, पींसागन अजमेर	सा.सदस्य
7	काली देवी पत्नि गणपत	गृहणी	ब्यावर जिला अजमेर	सा.सदस्य
8	हिम्मतसिंह पुत्र भगवानदास	समाज सेवी	धोलाभाटा रोड अजमेर	सा.सदस्य
9	जयकरण साहू पुत्र जगदीश	समाज सेवी	भजनगंज अजमेर	सा.सदस्य
10	शंकरलाल पुत्र धूकल	समाज सेवक	ग्राम नारेली अजमेर	सा.सदस्य
11	ललिता पत्नि राजकुमार	समाज सेविका	तानाजी नगर अजमेर	सा सदस्या

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

15. प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :–	संस्थान की प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे–

अध्यक्ष :–

1. बैठकों की अध्यक्षता एवं संचालन करना ।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना ।
3. बैठकें आहूत करना ।
4. संस्थान का प्रतिनिधित्व करना ।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।
6. अन्य

उपाध्यक्ष :–

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।
2. प्रबंधकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना ।

~~मंत्री~~ :– सचिव

1. बैठकें आहूत करना ।
2. कार्यवाही लिखना तथा रेकार्ड रखना ।
3. आय व्यय पर नियंत्रण रखना ।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना ।
5. संस्थान का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्थान की ओर से हस्ताक्षर करना ।
6. पत्र व्यवहार करना ।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों ।

अध्यक्ष   कोषाध्यक्ष   मंत्री

मानव विकास एवं अधिकार केन्द्र समिति / सोसाईटी / संस्था / संस्थान

संघ विधान–पत्र

1. संस्थान का नाम – इस संस्थान का नाम मानव विकास एवं अधिकार केन्द्र समिति / सोसाईटी / संस्था / संस्थान है व रहेगा

2. पंजीकृत कार्यालय – इस संस्थान का कार्यालय 125 / 31 नोनकरण का आहाता नगरा अजमेर राजस्थान है तथा इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान क्षेत्र तक सीमित रहेगा ।

3. संस्थान के उददेष्य – इस संस्थान के निम्नलिखित उददेष्य है–

1 दलित निम्न वर्ग की महिलाओं व असंगठित क्षेत्र में कार्यरत समुदाय के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा व स्वरोजगार
2 महिलाओ पर होने वाले अत्याचारों व अपराधों की रोकथाम, पैरवी व कानूनी परामर्श
3 ग्रामीण / शहरी क्षेत्र में पर्यावरण, स्वास्थ्य, जल प्रबन्धन पर जागरूकता कार्यक्रम
4 सरकार, पुलिस प्रशासन एवं दलित वर्ग के साथ पैरवी व सामन्जस्य स्थापित करना व जागरूकता व शोध
5 सामाजिक,राजनैतिक व आर्थिक स्तर पर दलित महिला व पुरूषों को सशक्तिकरण के क्षेत्र मे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
6 दलित वर्ग की भूमि भवन धन सम्पदा पर होने वाले अधिग्रहण व प्रताडना पर जागरूकता, रोकथाम व पैरवी करना
7 सरकारी कार्यक्रमों व नीतियों में वंचित वर्गों की भागीदारी को बढाना एवं जुडाव के लिये कार्यक्रम आयोजन
8 प्रताडित वर्गो महिलाओं व बच्चों को आश्रय परामर्श देखभाल व पैरवी कार्यवाही मे अहम् भूमिका का निर्वाह
9 पंचायतराज के अधिकारों पर जागरूकता व उत्पीडन एवं व्यक्तित्व विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम
10 बालश्रम,बालसंरक्षण,निशक्तजन,वृद्धजन को सरकार की योजनाओ से जोडना और जागरूकता कार्यक्रम
11 प्राकृतिक आपदाओ, आतंकवाद व विघटनकारी शक्तियों के प्रभाव कम करने के लिये सरकार के साथ सहयोग करना

उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति मे कोई लाभ निहित नही है।

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

कोषाध्यक्ष :–

1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना ।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना ।
3. चन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना ।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना ।

उपमंत्री :–

1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना ।
2. अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी / मंत्री द्वारा सौंपे जावें ।

16. संस्थान का कोष – संस्थान का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा –

1. चंदा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान ।

उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत / सहकारी बैंक में सुरक्षित की जावेगी । अध्यक्ष / मंत्री अथवा कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो अधिकृत पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा बैंक से लेन–देन संभव होगा ।

17. कोष संबंधी विशेषाधिकार – संस्थान के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्थान की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे ।

1. अध्यक्ष 2000/– रू0
2. मंत्री सचिव 3000/– रू0
3. कोषाध्यक्ष 2000/– रू0

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष मंत्री

मानव विकास एवं अधिकार केन्द्र .... ~~समिति~~ / ~~सोसाईटी~~ / ~~संस्था~~ / संस्थान

विधान (नियमावली)

संस्थान का नाम – इस संस्थान का नाम मानव विकास एवं अधिकार केन्द्र

समिति / सोसाईटी / संस्था / संस्थान है व रहेगा

2. पंजीकृत कार्यालय – इस संस्थान का कार्यालय 125 / 31 नोनकरण का आहाता नगरा अंजमेर राजस्थान है तथा

इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान क्षेत्र तक सीमित रहेगा ।

3. संस्थान के उद्‌देष्य – इस संस्थान के निम्नलिखित उद्‌देष्य है–

1 दलित निम्न वर्ग की महिलाओं व असंगठित क्षेत्र मे कार्यरत समुदाय के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा व स्वरोजगार

2 महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों व अपराधो पर रोकथाम, पैरवी व कानूनी परामर्श

3 ग्रामीण / शहरी क्षेत्र में पर्यावरण, स्वास्थ्य, जल प्रबन्धन पर जागरूकता कार्यकम

4 सरकार, पुलिस प्रशासन एवं दलित वर्ग के साथ पैरवी व सामन्जस्य स्थापित करना व जागरूकता व शोध

5 सामाजिक,राजनैतिक व आर्थिक स्तर पर दलित महिला व पुरूषों को सशक्तिकरण के क्षेत्र मे प्रशिक्षण कार्यकम का आयोजन

6 दलित वर्ग की भूमि भवन धन सम्पदा पर होने वाले अधिग्रहण व प्रताडना पर जागरूकता, रोकथाम व पैरवी करना

7 सरकारी कार्यकमों व नीतियों में वंचित वर्गो की भागीदारी को बढाना एवं जुडाव के लिये कार्यकम आयोजन

8 प्रताडित वर्गो महिलाओं व बच्चों को आश्रय परामर्श देखभाल व पैरवी कार्यवाही मे अहम् भूमिका का निर्वाह

9 पंचायतराज के अधिकारों पर जागरूकता व उत्पीडन एवं व्यक्तित्व विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

10 बालश्रम,बालसंरक्षण,निशक्तजन,वृद्धजन को सरकार की योजनाओ से जोडना और जागरूकता के कार्यक्रम

11 प्राकृतिक आपदाओं, आंतकवाद व विघ्नगठनकारी शक्तियों के प्रभाव कम करने के लिये सरकार के साथ सहयोग करना

उपरोक्त उद्‌देष्यों की पूर्ति मे कोई लाभ निहित नही है।

अध्यक्ष | कोषाध्यक्ष | सचिव

7. सदस्यता से निष्कासन — संस्थान के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा

(क) मृत्यु हो जाने पर

(ख) पागल हो जाने पर

(ग) त्यागपत्र देने पर

(ध) संस्था के उददेश्यों के विपरीत कार्य करने पर

(ड) प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर ।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिवस के अन्दर अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा ।

8. साधारण सभा — संस्थान के उप नियम सं. 6 में वर्णित सभी सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगें ।

9. साधारण सभा के अधिकार एंव कर्त्तव्य — साधारण सभा के निम्न अधिकार एंव कर्त्तव्य होगें –

(क) प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव करना ।

(ख) संस्थान का वार्षिक बजट पारित कराना ।

(ग) प्रबंधकारिणी द्वारा किए गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना ।

(ध) संस्थान के कुल सदस्यों के $^2/_3$ बहुमत से विधान में संशोधन , परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना ।

(जो रजिस्ट्रार , संस्थाएं के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

अध्यक्ष | कोषाध्यक्ष | मंत्री

कस	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
14	सुनील कुमार पुत्र रामकरण	समाज सेविका	सरवाड जिला अजमेर	सुनीलकुमार
15	शंकुतला देवी पत्नि छोटेलाल	समाज सेविका	प्रताप नगर अजमेर	शंकुतला

हम निम्न हस्ताक्षकर्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते है व इन्होनें हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये है। हम यह भी घोषणा करते है कि हम इस संस्थान के सदस्य नही है।

B.S. SHEKHAWAT NOTARY PUBLIC AJMER Govt. of Rajasthan

ATTESTED

Notary Public AJMER

हस्ताक्षर

नाम

व्यवसाय

पता

हस्ताक्षर

नाम

Notary Public Ajmer

व्यवसाय

पता

1. संस्थान का पंजीयन क्रमांक 181
2. संस्था का नाम
3. किस्म दस्तावेज
4. दस्तावेजों की संख्या
5. दिनांक पंजीयन
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

क्रस	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
14	सुनील कुमार पुत्र रामकरण	समाज सेविका	सरवाड़ जिला अजमेर	[illegible]
15	शकुंतला देवी पत्नि छोटेलाल	समाज सेविका	प्रताप नगर अजमेर	शंकुन्तला

हम निम्न हस्ताक्षकर्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते है व इन्होने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये है। हम यह भी घोषणा करते है कि हम इस संस्थान के सदस्य नही है।

B.S. SHEKHAWAT NOTARY PUBLIC AJMER Govt. of Rajasthan

ATTESTED
B.S. Shekhawat
Notary Public AJMER

हस्ताक्षर.......

नाम.......

व्यवसाय.......

पता....... 184/10 [illegible]

....

हस्ताक्षर.......

नाम....... Notary Public Ajmer

व्यवसाय.......

पता....... Nagarbhaud [illegible] By Pass

1. संस्थान का [illegible] 181
2. संस्था का नाम.......
3. किस्म दस्तावेज.......
4. [illegible] की संख्या.......
5. दिनांक रजीस्ट्रेशन.......
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार.......

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

ङ. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्विति करना

च. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना ।

छ. अन्य कार्य जो संस्थान के हितार्थ हो करना ।

14. कार्यकारिणी की बैठकें —

क. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 6 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

ख. बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या का आधे से अधिक का होगा।

ग. बैठक की सूचना प्रायः सात दिन पूर्व दी जावेगी तथा अन्य आवश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकेगी ।

कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी , जो दूसरे दिन निर्धारित स्थान, व, समय पर की जा सकेगी । ऐसी स्थिगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होगें जो पूर्व ऐजेण्डा में थे । ऐसी स्थिगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी । इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आमसभा में कराना आवश्यक होगा ।

(बैठक की सूचना यू.पी.सी. डाक या अखबार के द्वारा दी जावेगी ।)

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष मंत्री

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता जिनके नाम व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है इस संघ विधान प्रत्र के अन्तर्गत इस संस्थ के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत कराने के इच्छुक है।

कस	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	प्रेमलता पत्नि रमेशचन्द	समाज सेविका	आहाता, नगरा अजमेर	RL
2	गीता सावरिया पुत्री नाथूसिंह	समाज सेविका	शंकर नगर अजमेर	geeta
3	मनोज जाजोरया पुत्र नौरतमल	समाज सेवी	आर्दश नगर अजमेर	Manoj Jajoriya
4	मनोजं कुमार पुत्र पुरन सिंह	अध्यापक	शंकर नगर अजमेर	[signature]
5	दुर्गा देवी पत्नि ब्रजमोहन	समाज सेविका	जादूघर, अजमेर	दुर्गा देवी
6	कैलाश चन्द पुत्र शंकरलाल	समाज सेवी	ग्राम दौलतखेडा, पींसागन अजमेर	कैलाश
7	काली देवी पत्नि गणपत	गृहणी	ब्यावर जिला अजमेर	कालीदेवी
8	हिम्मतसिंह पुत्र भगवानदास	समाज सेवी	धोलाभाटा रोड अजमेर	Himmat Singh
9	जयकरण साहू पुत्र जगदीश	समाज सेवी	भजनगंज अजमेर	जयकरण
10	शंकरलाल पुत्र धूकल	समाज सेवक	ग्राम नारेली अजमेर	शंकर
11	ललिता पत्नि राजकुमार	समाज सेविका	तानाजी नगर अजमेर	ललिता
12	रामप्यारी पत्नि लालचन्द	समाज सेविका	ग्रम हरमाडा तह. किशनगढ	रामप्यारी
13	कमला पत्नि घेवर चन्द	समाज सेविका	गानाहेडा पुष्कर जि. अजमेर	कमला

RL
अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

Manoj Jajoriya
सचिव

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा । अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी ।

18. **संस्थान का अंकेक्षण** – संस्था के समस्त लेखे जोखों का वार्षिक अंकेक्षण करवाया जावेगा तथा वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाएं प्रतिवर्ष को प्रस्तुत करने होगें ।

संस्थान का वित्तिय वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च तक होगा ।

19. **संस्था के विधान में संशोधन ,परिवर्तन** – संस्था के संविधान में आवश्यक्तानुसार साधारण सभा के कुल में सदस्यों के ⅔ बहुमत से परिवर्तन , परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा ।

20. **विघटन** – यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उददेश्य वाली अन्य संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त सभी कार्यवाही राजस्थान संस्थान रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी ।

21. **संस्थान के लेखे जोखों का निरीक्षण :-** – रजिस्ट्रार , संस्थाएं अजमेर को संस्था के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा एवं उनके द्वारा दिए गए सुझावों की पूर्ति की जावेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) .... मानव विकास एंव अधिकार केन्द्र .... समिति/ सोसायटी / संस्थान की सही व सच्ची प्रतिलिपि है । अजमेर

अध्यक्ष | कोषाध्यक्ष | मंत्री

1. संस्थान का पंजीयन क्रमांक ....181....
2. संस्था का नाम ....मानव विकास एव अधिकार केन्द्र [illegible]
3. किस्म दस्तावेज़ ....[illegible]
4. दस्तावेज़ ....[illegible]....
5. दिनांक ....24.1.2012....
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार ....

4. सदस्यता —	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्थान के सदस्य बन सकेगें – 1. संस्थान के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों । 2. बालिग हों । 3. पागल , दीवालिए न हों । 4. संस्थान के उददेश्यों में रूचि व आस्था रखते हों । 5. संस्थान के हित को सर्वोपरि समझते हों ।
5. सदस्यता का वर्गीकरण —	संस्थान के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत भी किए जा सकेंगें :– 1. संरक्षक 2. विशिष्ट 3. सम्मानित सदस्य 4. साधारण सदस्य (जो लागू न हो , उसे काट दीजिए)
6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त – शुल्क व चन्दा	उप नियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा । 1. संरक्षक राशि 551/- वार्षिक/आजन्म 2. विशिष्ट सदस्य राशि – वार्षिक/आजन्म 3. सम्मानित सदस्य राशि – वार्षिक/आजन्म 4. साधारण सदस्य राशि 551/- वार्षिक/आजन्म उक्त राशि एकमुश्त अथवा रू0.................मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी ।

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

मंत्री